झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 2407 वर्ष 2020

अवधेश दास, उम्र 60 वर्ष, पे0–स्वर्गीय राम कृत दास, निवासी–तोपचांची, डाकघर एवं थाना–तोपचांची, जिला–धनबाद

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने प्रबंध निदेशक, ल्यूबी सर्कुलर रोड, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद
2. सचिव, खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ल्यूबी सर्कुलर रोड, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

05 / 22.01.2021 श्री संजय प्रसाद, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, उत्तरदातागण–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम

से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य बकाया जैसे आर0जी0ए0 (क्षेत्रीय भत्ता), ब्याज के साथ भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, चयन ग्रेड का बकाया, अवकाश नकदीकरण, समूह बीमा, क्षेत्रीय भत्ता, 30 साल की सेवा के पदोन्नति का लाभ देने वाले वेतन के अंतर का बकाया, 6ठे और 7वें वेतन संशोधन के अंतर का बकाया और पूर्व बकाया से संबंधित अन्य बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं पर निर्देश के लिए इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

श्री संजय प्रसाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकारण के तहत जल आपूर्ति प्रभाग, तोपचांची में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था और उसने 30.06.2020 को सेवानिवृत हो गया। उन्होनें कहा कि दिनांक 22.06.2020 को अभ्यावेदन दायर किया गया है लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया है।

श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को नए अभ्यावेदन देने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और याचिकाकर्ता के मामले को नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और इस संबंध में बनाई गई योजनाओं के अनुसार उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 विचार करेगा।

तद्नुसार को सभी साख के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता संख्या–2 के समक्ष नये सिरे से अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया जाता है। यदि इस प्रकार का अभ्यावेदन उपरोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है तो उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और जे0एम0ए0डी0ए0 द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये योजना के अनुसार उसके पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)